न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4331-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8-11-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 353/अपील/2015-16.

1.गुलाबचन्द पिता गोरधन
2.राधेश्याम पिता गोरधन
3.कमलाबाई बेवा सखाराम
निवासीगण ग्राम बोरूट
तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

अनोकचन्द पिता मयाराम
निवासी ग्राम बोरूट
तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री अमितराज, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दशरथ घोड़के, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 8-11-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, भीकनगांव के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बोरूट स्थित खसरा नम्बर 386/6/2 रकबा 1.619 हेक्टेयर, 386/3 रकबा 2.966 हेक्टेयर एवं 386/4 रकबा 0.405 हेक्टेयर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उक्त प्रश्नाधीन भूमियों पर आने-जाने के रास्ते को

अनावेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/1-13/14-15 दर्ज कर दिनांक 3-9-15 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-3-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8-11-16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) स्थल निरीक्षण पंचनामें के अनुसार सर्वे नम्बर 386/6 के दक्षिण मेढ़ पर बैलगाड़ी के निशान पाए गए तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त पंचनामें के आधार पर अपने आदेश दिनांक 29-3-16 में पुष्टि की गई है, किन्तु उनके द्वारा इस पहलू को नजर अंदाज कर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज है, जिसके दक्षिण मेढ़ से आवेदकगण के दादा-परदादा के समय से उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं, जिसे नजर अंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) आवेदकगण के पास उक्त रास्ता ही एकमात्र मार्ग है, जिससे वह अपने खेतों पर आना-जाना करतक रहे हैं, जो कि पंचनामा से भी सिद्ध हुआ है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण के आने-जाने का एकमात्र परम्परागत मार्ग बन्द कर दिया जावेगा तो उन्हें अपने खेतों में आने-जाने के सम्पूर्ण मार्ग बन्द हो जायेगें, जिससे उन्हें अपरिमित हानि होगी । उक्त स्थिति को नजर अंदाज कर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) आवेदकगण के पूर्वजों द्वारा अनावेदक पक्ष को दिनांक 10-3-70 को उक्त पैकि भूमि का विकय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से की गई है, जिसमें यह तय हुआ था कि सर्वे नम्बर 386/6 (पैकि) की भूमि के दक्षिण दिशा की ओर से पश्चिम से पूर्व की ओर होकर आवेदकगण का परम्परागत आने-जाने के रास्ते का उपयोग आवेदकगण करेंगे । अनावेदक द्वारा विगत वर्ष से उक्त रास्ते को रोक दिया गया है, जिससे आवेदकगण को क्षति हुई है, जिसे नजर अंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) आवेदकगण द्वारा पूर्व में अनावेदक के पिता मयाराम एवं उनके दो भाई गेंदालाल एवं भुराजी के विरूद्ध रास्ते के विवाद को लेकर प्रकरण क्रमांक 1/अ-13/2013-14 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कि दिनांक 07.11.2014 को निरस्त हुआ, उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 06/14-15 प्रस्तुत की थी, जो कि दिनांक 15.04.2015 को निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई अपील वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गई। इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम हो चुका है।

(2) आवेदकगण द्वारा उक्त दोनों आदेशों को नजर अंदाज करते हुए मयाराम के पुत्र अनोकचंद के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष पुन: प्रकरण क्रमांक 03/अ-13/2014-15 का प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त दोनों आदेशों के बारे में अवगत करवाया गया और यह निवेदन किया गया कि जब गुण-दोष के आधारों पर प्रकरण का निराकरण हो चुका है, उसके बाद भी उक्त दोनों आदेशों को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों से सहमत होकर आवेदकगण का प्रकरण दिनांक 03.09.2015 को निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2016 को निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.11.2016 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है ।

(3)इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में भी आवेदकगण द्वारा वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं करते हुए अनर्गल विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रकरण क्रमांक 1/अ-13/2013-14 में तहसीलदार द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित कर आवेदकगण का प्रकरण दिनांक 07.11.2014 को निरस्त किया गया, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 से की जाकर अपील निरस्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध कोई अपील वरिष्ठ न्यायालय में नहीं करने से उक्त आदेश अंतिम हो चुका था। जब एक बार प्रकरण उन्हीं पक्षकारों के मध्य गुण-दोष के आधार पर प्रकरण निराकृत हो चुका था, तब उन्हीं तथ्यों को छिपाते हुए नवीन प्रकरण प्रस्तुत करना न्याय की परंपरा के विरूद्ध है। इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 विधि अनुरूप ही है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष द्वारा पूर्व में भी अनावेदक के पिता के विरूद्ध संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन रास्ते की मांग की गई थी, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7-11-2014 को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील भी आदेश दिनांक 15-4-2015 द्वारा निरस्त हुई है । आवेदकगण द्वारा अब पुन: उसी रास्ते के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था । अत: तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 8-11-16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर